


27/9/2021

0-9-15

अभिलेख उपस्थापित। बाद में अर्चना पदाधिकारी द्वारा
 लेख (वापसी) नारायणी वापसी सं. 600/9/15-16
 दिनांक 20-7-2015 से सूचित किया गया है कि देनदार
 द्वारा सम्पूर्ण बकाया राशि जमा कर दिया गया है।
 अतः अर्चना पदाधिकारी की कारवाई
 वसूली हेतु देनदार के विरुद्ध नोडिशा निर्गत है।
 अभिलेख दिनांक 28-9-15 के 22वें


215
16-9-15



अनुमोल पदाधिकारी

11-02-21

अभिलेख उपस्थापित। अर्चना पदाधिकारी, भारत
 राज्य ग्रामीण बैंक, नारायणी के पत्रांक सरकार -
 110/20-21 दिनांक - 11-02-2021 द्वारा सूचित किया
 गया है कि देनदार के द्वारा सम्पूर्ण बकाया राशि
 जमा कर दिया गया है।
 अतः अभिलेख की कारवाई बन्द किया
 जाता है।



अनुमोल पदाधिकारी
 सह नीलाम पत्र पदाधिकारी
 नारायणी (गोडडा)